क्रम-संख्या–14(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ शुक्रवार, 2 जनवरी, 2026

पौष 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या 1188 / 83–2025-83-1099-621-2019

लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–1

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, 'उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा नियमावली, 1992' को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 (2) का संशोधन

2–'उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा नियमावली, 1992', में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम 4 (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ—1

विद्यमान उपनियम

4(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी:

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
उप नियंत्रक	—	12	12

परन्तुः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

4(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी:

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
उप नियंत्रक	00	75	75

परन्तु यह किः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

आज्ञा से,

संयुक्ता समद्दार,

प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1188/LXXXIII-2025-83-1099-621-2019, dated January 2, 2026 :

No. 1188/LXXXIII-2025-83-1099-621-2019

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the 'Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service Rules, 1992'.

UTTAR PRADESH CIVIL DEFENCE DEPUTY CONTROLLER SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the 'Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service (Second Amendment) Rules, 2025'.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4(2)

2. In the 'Uttar Pradesh Civil Defence Deputy Controller Service Rules, 1992', *for* existing sub rule 4 (2) set out in column-1 below the sub rule as set out in column-2 shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-1

Existing sub rule

4(2) The strength of the Service shall, untill orders varying the same are passed under sub rule (1), is as follows:

Name of Post	Permanent	Temporary	Total
Deputy Controller	–	12	12

Provided that:

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional temporary or permanent posts as he may consider proper.

COLUMN-2

Sub rule as hereby substituted

4(2) The strength of the Service shall, untill orders varying the same are passed under sub rule (1), is as follows:

Name of Post	Permanent	Temporary	Total
Deputy Controller	00	75	75

Provided that:

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance, any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

By order,

SANYUKTA SAMADDAR,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 330 राजपत्र–2026–(1006)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 नागरिक सुरक्षा अनुभाग–2026–(1007)–200 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।